an>

Title:Regarding need to provide policy papers and receipts of premium paid by the farmers covered under crop insurance policy scheme in the country.

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक) ः केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार की ओर से फल और फसल बीमा योजना चलाई जाती है लेकिन इस योजना का लाभ देश के किसी भी लोक सभा क्षेत्र् के किसानों को अभी तक नहीं मिला है। इसलिए यह योजना किसानों के लिए है या बीमा कंपनियों के लिए है, यह गहन सोच का विÂाय है। बीमा कंपनी के माध्यम से हर साल करोड़ों रूपयों का बीमा निकाला जाता है लेकिन किसानों को इस योजना के तहत बीमा पॉलिसी तथा कोई बीमा दस्तावेज तक नहीं मिलता है। इसलिए उनकी फसल के हुए नुकसान की भरपाई के लिए वह दावा भी पेश नहीं कर पाते हैं। यह सब बीमा कंपनी की इच्छानुसार कारोबार चलता है। किसानों के बैंक खाते से बीमा योजना की राशि की कटौती होती है लेकिन उनको इसकी कोई भी रसीद बीमा कंपनी से नहीं मिलती है।

अतः मेरा केंद्र् सरकार से अनुरोध है कि सभी बीमाधारक किसानों को पैसे भरने की रसीद और संबंधित सभी आवश्यक प्रपत्र् उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।